न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

मि0न0 - 02/2017

अनवान :

1. जयकरण पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. रामजीलाल } पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा
2. बेलीराम } जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
3. एसबीबीजे बैंक शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा भिरानी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन व जोत विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री योगेश कुमार **: वादी**

निर्णय **दिनांकः**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अमरपुरा बारानी के खाता सं0 60/40 के मुरबा नं0 66 के किला नं0 4 की 0.0890 है0 के मुरबा नं0 66 के किला नं0 4, 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.2530 है0, मु0नं0 68 के किला नं0 1 की 0.253 है0 मु0नं0 69 के किला नं0 4 व 5 प्रत्येक किला की 0.253 है0इस प्रकार कुल 2.998 है0 बारानी, खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का 78-1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का 158-1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि मुश्तर्का खाता की कृषि भूमि है जिसमें वादीगण ने खाता व लगान अन्य सहखातेदारान से अलग कायम करवाने हेतु अनुतोष चाहा है जिस बाबत तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया। प्रतिवादी जयकरण ने तहसीलदार भादरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की।

आपत्ति पर बहस सुनी गई। पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव व नक्शा पर स्वयं वादी के अंगूठा निशानी है, जिससे वादी वकील ने भी इन्कार नहीं किया है, इससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि विभाजन प्रस्ताव वादी की जानकारी में ही बनाया गया है जब विभाजन प्रस्ताव वादी की सहमति व जानकारी से ही बनाया गया है तो उस पर वादी की आपत्ति पोषनीय नहीं है। सम्पूर्ण वाद भूमि ही एक साथ है मात्र दो किलो के आबादी से दूरी के आधार पर अच्छी मंदी का निर्धारण किया जाना उचित नहीं है। सम्पूर्ण वादभूमि जमाबन्दी में बारानी प्रथम ही दर्ज है, इसलिए वादी की दोनों आपत्तिया पोषणीय नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का आपत्ति प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. **जयकरण वल्द हरसुख कौम जाट सा0 देह खातेदार के पास : ग्राम अमरपुरा बारानी के** मु0नं0 66 के किला नं0 14 की 0.117 है0 किला नं0 15 की 0.117 है0 किला नं0 16, 17 की 0.506 है0 किला नं0 24 की 0.126 है0 किला नं0 25 की 0.127 है0 कुल किता 6 रकबा 0.993 है बारानी
2. **रामजीलाल बेलीराम पि0 बीरबल कौम जाट सा0 देह खातेदार के पास : ग्राम अमरपुरा बारानी** के मु0नं0 66 के किलानं0 4 की 0.089 किलानं0 5 की 0.126 है0 किला नं0 6–7 की 0.506 है0, किला नं0 14 की 0.136 है0, किला नं0 15 की 0.136 है0 किला नं0 24 की 0.127 है0, किला नं0 25 की 0.126 है0 मु0नं0 68 के किला नं0 1 की 0.253 है0 मु0नं0 69 के किला नं0 4 व 5 की 0.506 है0 कुल किता 11 रकबा 2.005 है0 बारानी, बेलीराम हिस्सा राहिन एसबीबीजे बैंक शाखा भिरानी

उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। बैंक रहन यथावत् रखा जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

मि0न0 - 02/2017

अनवान :

1. जयकरण पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

— वादी

बनाम

1. रामजीलाल } पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा
2. बेलीराम } जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
3. एसबीबीजे बैंक शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा भिरानी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. **जयकरण वल्द हरसुख कौम जाट सा0 देह खातेदार के पास : ग्राम अमरपुरा** बारानी के मु0नं0 66 के किला नं0 14 की 0.117 है0 किला नं0 15 की 0.117 है0 किला नं0 16, 17 की 0.506 है0 किला नं0 24 की 0.126 है0 किला नं0 25 की 0.127 है0 कुल किता 6 रकबा 0.993 है बारानी
2. **रामजीलाल बेलीराम पि0 बीरबल कौम जाट सा0 देह खातेदार के पास : ग्राम अमरपुरा बारानी** के मु0नं0 66 के किलानं0 4 की 0.089 किलानं0 5 की 0.126 है0 किला नं0 6–7 की 0.506 है0, किला नं0 14 की 0.136 है0, किला नं0 15 की 0.136 है0 किला नं0 24 की 0.127 है0, किला नं0 25 की 0.126 है0 मु0नं0 68 के किला नं0 1 की 0.253 है0 मु0नं0 69 के किला नं0 4 व 5 की 0.506 है0 कुल किता 11 रकबा 2.005 है0 बारानी, बेलीराम हिस्सा राहिन एसबीबीजे बैंक शाखा भिरानी

उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। बैंक रहन यथावत् रखा जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6.8.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)